

उच्च शिक्षा में विवाहित महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन

डॉ जितेंद्र कुमार

एसोसिएट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग एस. एम. कॉलेज चंदौसी

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। इसमें युगानुरूप परिवर्तन होते रहे हैं। उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं तथा उनके अधिकारों में तदनुरूप बदलाव भी होते रहे हैं। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सम्पत्ति में उनको बराबरी का हक था। सभा व समितियों में से स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी तथापि ऋग्वेद में कुछ ऐसी उक्तियां भी हैं जो महिलाओं के विरोध में दिखाई पड़ती हैं। मैत्रयीसंहिता में स्त्री को झूठ का अवतार कहा गया है। ऋग्वेद का कथन है कि स्त्रियों के साथ कोई मित्रता नहीं है, उनके हृदय भेड़ियों के हृदय हैं। ऋग्वेद के अन्य कथन में स्त्रियों को दास की सेना का अस्त्र-शस्त्र कहा गया है। स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी कहीं न कहीं स्त्रियों नीची दृष्टि से देखी जाती थीं। फिर भी हिन्दू जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वह समान रूप से आदर और प्रतिष्ठित थीं। शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उसका महान योगदान था। संस्थानिक रूप से स्त्रियों की अवनति उत्तर वैदिककाल से शुरू हुई। उन पर अनेक प्रकार के नियोग्यताओं का आरोपण कर दिया गया। उनके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा। उनकी स्वतंत्रता और उन्मुक्तता पर अनेक प्रकार के अंकुश लगाये जाने लगे। मध्यकाल में इनकी स्थिति और भी दयनीय हो गयी। पर्दा प्रथा इस सीमा तक बढ़ गई कि स्त्रियों के लिए कठोर एकान्त नियम बना दिए गये। शिक्षण की सुविधा पूर्णरूपेण समाप्त हो गई।

वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। उसे देवी, सहधर्मिणी अर्द्धाग्निनी, सहचरी माना जाता था। स्मृतिकाल में भी "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" कहकर उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। पौराणिक काल में शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती रही है। किन्तु 11 वीं शताब्दी से 19 वीं शताब्दी के बीच भारत में महिलाओं की स्थिति दयनीय होती गई। एक तरह से यह महिलाओं के सम्मान, विकास, और सशक्तिकरण का अंधकार युग था। मुगल शासन, सामन्ती व्यवस्था, केन्द्रीय सत्ता का विनष्ट होना, विदेशी आक्रमण और शासकों की विलासितापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया था और उसके कारण बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा आदि विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का समाज में प्रवेश हुआ, जिसने महिलाओं की स्थिति को हीन बना दिया तथा उनके निजी व सामाजिक जीवन को क्लृप्त कर दिया।

मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से स्त्रियों की स्थिति में जबर्दस्त गिरावट आयी। अशिक्षा और रूढ़िवादी जकड़ती गई, घर की चाहरी दीवारी में कैद होती गई और नारी एक अबला, रमणी और भोग्या बनकर रह गई। आर्य समाज आदि समाज-सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा आदि के लिए प्रयास आरम्भ किये। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजाराम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा केशवचन्द्र सेन ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठायी। इन्होंने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री पुरुष समानता, स्त्री शिक्षा, सती प्रथा पर रोक तथा बहु विवाह पर रोक की आवाज उठायी। इसी का परिणाम था सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829, 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1891 में एज आफ कन्सटेंट बिल, 1891, बहु विवाह रोकने के लिये वेटिव मैरिज एक्ट पास कराया। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ। वर्षों के नारी स्थिति में आयी गिरावट में रोक लगी। आने वाले समय में स्त्री

जागरूकता में वृद्धि हुई और नये नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिनकी मुख्य मांग स्त्री शिक्षा, दहेज, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक, महिला अधिकार, महिला शिक्षा का माँग की गई।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी में प्रारम्भ में स्त्री-शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी परन्तु ईसाई मिशनरियों ने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कुछ स्कूल खोले। सन् 1851 में मिशनरियों द्वारा 371 बालिका विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाली बालिकाओं की संख्या 11,193 थी। इस क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयास भी किये गये थे। डेविट हेयर ने 1820 में बालिकाओं के लिए कलकत्ता में एक स्थापित किया।

गया कि इस शिक्षा का प्रसार करने के लिए भी सम्भव प्रयास किये जायें। इस प्रकार 1854 से 1882 तक की अवधि में स्त्रियों की उच्च शिक्षा अत्यन्त निराशाजनक थी। 1882 में कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या 6 थी, पर 1902 में यह संख्या बढ़कर 264 हो गई। व्यवसायिक शिक्षा क्षेत्र में प्रगति बहुत धीमी थी। 1902 में महिलाओं के लिए महाविद्यालयों की संख्या 12 थी। 1921 में 1263 लड़कियाँ, कालेजों में शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। 1916 में स्त्रियों को चिकित्सा शिक्षा की विशेष सुविधा देने के लिए 'लेडी हार्डिन्ग कॉलेज' का दिल्ली में निर्माण किया गया। 1926 में स्त्रियों ने 'अखिल भारतीय महिला संघ' का निर्माण और 1927 में 'अखिल भारतीय स्त्री-शिक्षा सम्मेलन' आयोजित किया, जिसमें उन्होंने पुरुषों के अनुरूप विविध प्रकार की शिक्षा की अधिकारिणी होने की माँग का नारा बुलन्द किया। 1937 से 1947 तक स्त्री शिक्षा की विशेष रूप से उच्च शिक्षा की अति तीव्र प्रगति हुई। भारत सरकार ने 4 नवम्बर, 1948 को डॉ० राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में "विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग" की नियुक्ति की, इस आयोग ने भी स्त्री शिक्षा का महत्व बतलाते हुए लिखा है- "शिक्षित स्त्रियों के बिना हम शिक्षित नहीं हो सकते हैं यदि सामान्य शिक्षा पुरुषों या स्त्रियों तक सीमित रखी जाती है, तो स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में शिक्षा को अन्य पीढ़ी को हस्तान्तरित किया जा सकेगा।"

1962 में "राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त श्री हंसा मेहता समिति ने स्त्री उच्च शिक्षा के प्रसार किया गया। भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को यू०जी०सी० के अध्यक्ष प्रोफेसर डा० डी०एस० कोठारी की अध्यक्षता में "शिक्षा आयोग की घोषणा की जिसके अन्तर्गत बालिकाओं की शिक्षा के उच्च स्तरीय सुझाव प्रस्तुत किये गये। समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्रालय ने 1971 में विभिन्न स्तरों पर स्त्रियों की स्थिति ज्ञान करने एवं कमियाँ को दूर करने के लिए एक समिति का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट का प्रारूप 1973 में प्रस्तुत किया जिससे इस समिति ने स्त्री उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये "उच्च शिक्षा का प्रसार (सामान्य अथवा व्यवसायिक) अभी भी बहुत समिति है। इसलिए स्त्रियों को उच्च शिक्षा में और वृद्धि की आवश्यकता है।

भारत में साक्षरता की दशकीय स्थिति

(स्वतन्त्रता प्राप्त के बाद) जनगणना वर्ष कुल साक्षरता पुरुष साक्षरता महिला शिक्षा के मामले में अभी भी हमारे देश की स्थिति दयनीय है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर तो फिर भी सुधार और सुधार की संभावनाएं थोड़ा संतोष देती है, लेकिन उच्च शिक्षा की स्थिति आज भी बेचैन कर देने वाली है। आज भी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में लड़कियों की संख्या काफी कम है और जो हैं, उसमें भी अधिकांश कुछ बड़े शहरों तक सीमित है, ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बदतर है। पुरुष सत्ता द्वारा मानसिक रूप से स्त्री को गुलाम बनाने की प्रक्रिया आज भी जारी है। स्त्री उस प्रक्रिया में किस प्रकार अस्वाभाविक होकर अपना योगदान देती है, जिसमें वह अपने उन रिश्तों व प्रेम के बंधनों को तोड़ती है जो उसके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. उच्च शिक्षा में स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर की ग्रामीण विवाहित महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करना।
2. उच्च शिक्षा में स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर की शहरी विवाहित महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करना।

3. उच्च शिक्षा में स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर की ग्रामीण व शहरी विवाहित महिलाओं की शैक्षिक समस्याओं के सम्बन्ध का अध्ययन करना।

परिकल्पना उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निम्न परिकल्पना का निर्माण किया गया है।

उच्च शिक्षा में स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर की ग्रामीण विवाहित महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धित समस्याओं में सार्थक अन्तर नहीं होगा।

2. उच्च शिक्षा में स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर की शहरी विवाहित महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं में सार्थक अन्तर नहीं होगा।




3. उच्च शिक्षा में स्नातक एवं स्नाकोत्तर स्तर की ग्रामीण एवं शहरी विवाहित महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धित समस्याओं में सार्थक सम्बन्ध नहीं होगा।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन इलाहाबाद जिले में स्थिति महाविद्यालय के उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली विवाहित महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन उचित एवं सुनिश्चित निर्देशक क्षेत्र में सर्वे विधि के द्वारा किया गया है। न्यादर्श के रूप में ग्रामीण व शहरी के 4 विद्यालय में 25-25 विवाहित महिलाएं कुल 100 महिलाओं पर किया गया है। उपकरण अध्ययन में स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया है। इस प्रश्नावली में स्त्री उच्च शिक्षा के प्रति समस्याओं को समझने हेतु 40 कथन रखे गये हैं जिसमें कुल कथन सकारात्मक तथा कुछ कथन नकारात्मक हैं। भविष्य के दृष्टिकोण से सम्बन्धित समस्याएँ सांख्यिकी विधि समस्या का विश्लेषण एवं व्याख्या करने के लिये अध्ययनकर्ता ने प्रतिशतीय विश्लेषण माध्यम का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या परिवार से सम्बन्धित समस्याओं का विश्लेषण

परिवार से सम्बन्धित समस्या	ग्रामीण	शहरी
समय	90	72
रूढ़िवादी सोच	74	26
पुरुष वर्चस्व	76	34
घरेलू काम-काज	100	94
बच्चों की देख-रेख	76	70
घर-परिवार एवं समाज में समायोजन	74	36
पढ़ाई का समय	82	58
शिक्षण कार्य के लिए मनाही	98	64
परिवार पर ही आश्रित	96	58
पति की नौकरी या व्यवसाय में संलग्न	92	80



व्याख्या

- 90% शहरी एवं 72% ग्रामीण महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए समय मिल पाता है।
- 26% शहरी एवं 74% ग्रामीण महिलाओं के परिवार में रूढ़िवादी सोच व्याप्त है।
- 34% शहरी एवं 76% ग्रामीण महिलाओं में उच्च शिक्षा के प्रति पति की पुरुष वर्चस्व सोच से प्रभावित होती है।
- 94% शहरी एवं 100% ग्रामीण महिलाओं में घरेलू काम-काज में संलग्न रहती है।
- 70% शहरी एवं 76% ग्रामीण महिलाएँ बच्चों की देख-रेख करती है।
- 36% शहरी एवं 74% उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण महिलाओं को घर-परिवार एवं समाज में समायोजन करने में असुविधा होती है।
- 80% शहरी एवं 92% उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण महिलाएँ अपने बच्चों की परिवारिक से परेशान होती है।
- 74% शहरी एवं 84% उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण महिलाएँ को महिलाओं को विद्यालय एवं घर दोनों को एक साथ सामंजस्य बैठन में आपको मानसिक तनाव उत्पन्न होता है।
- 58% शहरी एवं 82% उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण महिलाओं को घर में पढ़ाई का समय नहीं मिलता है।
- 64% शहरी एवं 98% उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण महिलाओं को शिक्षण कार्य के लिए दोस्तों के यहाँ जाने के लिए मनाही है।
- 72% शहरी एवं 48% उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण महिलाओं के घर ही लोग घर के कार्यों में हाथ बँटाते है।
- 36% शहरी एवं 66% उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण महिलाओं के परिवार में बच्चों की चाहत उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है।
- 80% शहरी एवं 92% उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण महिलाओं के पति की नौकरी या व्यवसाय में संलग्न होने से उच्च शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।
- 58% शहरी एवं 96% उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् ग्रामीण महिलाएँ अपने परिवार पर ही आश्रित है।

सन्दर्भ गन्थ सूची

1. वासुकि, एन0 (1990), एट्रियूड्स ऑफ ओमेन टुवर्ड्स ओमेन्स एजुकेशन, एम0फिल0 एजुकेशन, कोयम्बटूर।
2. सोनकर, मनोज (2006), प्राचीन एवं मध्यकाल की स्त्री शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन, एम0एड0, झाँसी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय।
3. सर्व शिक्षा अभियान (2001), परियोजना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार।
4. सिंह, कर्ण, (2008), भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, लखीमपुर खीरी, गोविन्द प्रकाशन।
5. सक्सेना, एन0आर0 स्वरूप, (2006), शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, मेरठ, सूर्या पब्लिकेशन।
6. स्वामी, एस0 श्रीधर (2007), पॉपुलेशन एण्ड डेवलपमेन्ट एजुकेशन, नई दिल्ली: नीलकमल पब्लिकेशन, संस्करण।
7. श्रीवास्तव, अल्का (2011), हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन, लघुशोध प्रबन्ध, इलाहाबाद : नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय।